न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या: 139/2011(जी.सी.एम.एस. 2013/00069)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1.परमजीत कौर उर्फ गोगी पुत्री जसकरण पत्नी सिकन्दर सिंह जाति गुसांई निवासी पिण्ड भगता तहसील भगता जिला भटिण्डा पंजाब।		1. तेजा गिरी पुत्री बचन गिरी निवासी कुंरगावाली तहसील कालयांवाली मण्डी जिला सिरसा हरियाणा। 2. अवतार गिरी उर्फ भुल्लर पुत्र गुरदेव गिरी जाति गुसांई निवासी वाटरवर्क्स के पास कालयांवाली मण्डी तहसील कालयांवाली मण्डी जिला सिरसा हरियाणा। 3. अमरजीत कौर पत्नी गुरदेव गिरी जाति गुंसाई जाति गुसांई निवासी वाटरवर्क्स के पास कालयांवाली मण्डी तहसील कालयांवाली मण्डी जिला सिरसा हरियाणा। 4. बिन्द्र कौर पुत्री गुरदेव सिंह जाति गुसांई निवासी वाटरवर्क्स के पास कालयांवाली मण्डी तहसील कालयांवाली मण्डी जिला सिरसा हरियाणा। 5. सुखदेव गिरी पुत्र बचन गिरी जाति गुसांई निवासी वाटरवर्क्स के पास कालयांवाली मण्डी तहसील कालयांवाली मण्डी जिला सिरसा हरियाणा। 6. नरेन्द्र कौर उर्फ निन्दी पुत्री जसकरण सिंह पत्नी हरदेव सिंह जाति गुंसाई निवासी सनाम मण्डी तहसील सनाम जिला संगरूर पंजाब। 7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188,91,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:– 21.11.2013

उपस्थित:1.श्री दलजीत सिंह बराड अधिवक्ता वादी
2.श्री गुरदेव सिंह,श्री गुरदयाल सिंह मल्ली प्रतिवादी संख्या 1

––निर्णय––

दिनांक:02.04.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि बचन गिरी वादिया व प्रतिवादी संख्या 6 का नाना था जो कि दिनांक 20.03.2008 को फौत हो चुका है। बचन गिरी के जायज व कानूनी वारिसान चार थे, जिनमें से दो पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 व 5, एक अन्य पुत्र गुरदेव गिरी व एक पुत्री स्वर्ण कौर थी। स्वर्ण कौर फौत हो चुकी है। वादिया व प्रतिवादी संख्या 6 मृतक स्वर्ण कौर की पुत्रियां है। बचन गिरी के पुत्र गुरदेव गिरी की करीब एक वर्ष पूर्व मृत्यू हो चुकी है। प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 मृतक गुरदेव गिरी के जायज वारिसान है। प्रतिवादी संख्या 2 अवतार गिरी उर्फ भुल्लर मृतक गुरदेव गिरी के पुत्र है। व प्रतिवादी संख्या 3 अमरजीत कौर मृतक गुरदेव गिरी की पत्नी है तथा प्रतिवादी संख्या 4 बिन्द्र कौर मृतक गुरदेव गिरी की पुत्री है। चक 2 एन की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 के खाता संख्या 36/40 के मुरब्बा नम्बर 22, 23, 54/9 की कुल 5.060 हैक्टेयर भूमि में से वादिया के नाना बचन गिरी के नाम 0.885 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। बचन गिरी निंवसीयत फौत हुआ है। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के मुताबिक निंवसीयत व्यक्ति की मृत्यू के पश्चात उसके नाम दर्ज सम्पति उसके प्रत्येक वारिस को बराबर-बराबर प्राप्त होती है। मृतक बचन गिरी के प्रतिवादी संख्या 1, 5 गुरदेव गिरी व स्वर्ण कौर जायज व कानूनी वारिसान थे। गुरदेव गिरी व स्वर्ण कौर की मृत्यू बचन गिरी की मृत्यू के पश्चात बचन गिरी के नाम दर्ज 0.885 हैक्टयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 5 प्रत्येक 1/4 - 1/4 हिस्सा, वादिया व प्रतिवादी संख्या 6 दोनो 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 तीनों 1/4 हिस्सा भूमि विरास्तन प्राप्त करने के अधिकारी है। वादिया खातेदारी अधिकारों की घोषणा का दावा ला पाने की अधिकारी है। वादिया व प्रतिवादी संख्या 6 अपने-अपने हिस्से की भूमि पर शुरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:20:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

से काबिज काश्त चली आ रही है। वादिया व प्रतिवादी संख्या 6 ने अपने हिस्से की भूमि सुखेदव गिरी को ठेका पर काश्त करने के लिए दी हुई है। सुखदेव गिरी, वादिया व प्रतिवादी संख्या 6 को समय-समय पर ठेका हिस्सा की राशि अदा करता आ रहा था। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने मिलीभगत करके गलत तौर पर बचन गिरी का वारिस प्रमाण पत्र बनाकर उसमें मात्र प्रतिवादी संख्या 1 व 5 तथा मृतक गुरदेव गिरी को ही बचन गिरी का वारिस दिखाकर बचन गिरी के नाम दर्ज 0.885 हैक्टेयर भूमि का विरास्तन इन्तकाल ग्राम पंचायत 25 एफ गुलाबेवाला से मिलीभगत कर अपने नाम दर्ज करवा लिया है। उक्त वारिस प्रमाण पत्र में वादिया की माता स्वर्ण कौर का नाम अंकित नहीं करवाया गया और वादिया व प्रतिवादी संख्या 6 के हिस्सा की भूमि गलत तौर पर अपने नाम दर्ज करवा ली। उक्त इन्तकाल संख्या 311 दिनांक 06.08.2013 है, जो वादिया के अधिकारों पर बेअसर है और कानून के विपरीत होने के कारण शून्य व अवैध है और निरस्त किये जाने योग्य है। वादिया आज से दो रोज पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 से मिली और उन्हें कहा कि आप उक्त इन्तकाल संख्या 311 को निरस्त करवाकर वादिया और प्रतिवादी संख्या 6 के हिस्सा की भूमि हमारे नाम दज करवा देवे, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया और कहा कि हम तुम्हारे हिस्से की भूमि तुम्हे नहीं देगें और उक्त भूमि का खूर्द-बुर्द कर देगे। यदि प्रतिवादीगण ऐसा करने में कामयाब हो गए तो वादिया को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा।यही वाद कारण है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार, पूर्ण कोर्ट फीस अन्दर मियाद है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी निम्न प्रकार से डिक्री सादर फरमाया जावे :- कि चक 2 एन की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 के खाता संख्या 36/40 के मुरब्बा नम्बर 22, 23, 54/9 की कुल 5.060 हैक्टेयर भूमि में से 0.885 हैक्टेयर भूमि का विरास्तन इन्तकाल संख्या 311 दिनांक 06.08.2013 विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किया जाकर उक्त 0.885 हैक्टेयर भूमि में वादिया और प्रतिवादी संख्या 6 दोनो को 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1, 5 प्रत्येक को 1/4 - 1/4 हिस्सा, तथा प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 तीनों को 1/4 हिस्सा भूमि का खातेदार घोषित किए जाने व उक्त भूमि के संबध में स्थायी निषेधाज्ञा जारी किए जाने के आदेश फरमावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 व 6 की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश डाबला उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री गुरदेव सिंह उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 2, 3 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 की ओर से जवाबदावा पेश नहीं करने पर जवाब बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाबदावा पेश किया गया। जवाबदावा अनुसार वादिया व प्रतिवादी संख्या 6, मृतक बचन गिरी की खातेदारी भूमि 0.885 हैक्टेयर में बतौर वारिसान हिस्सा पाने की कानूनी अधिकारी नहीं है। चूकिं वादिया व प्रतिवादी संख्या 6 की माता स्वर्ण कौर का देहान्त मृतक बचन गिरी द्वारा विवादित भूमि 06.06.1979 को क्रय करने से पहले सन 1973 में हो चुकी थी। इसके अलावा मृतक बचन गिरी ने अपनी तमाम चल अचल सम्पति की पंजीकृत वसीयत दिनांक 19.02.2008 अपने तीनों पुत्रो के हक में करवा दी थी। जिसमें साफ अंकित किया गया है कि मेरी मृत्यू के पश्चात मेरी जायदाद में मेरी पुत्री की औलाद का कोई हक व हिस्सा नहीं होगा। मृतक बचन गिरी की जायदाद में वादिया द्वारा हिस्सा प्राप्त करने हेतु एक सिविल वाद अनवानी परमजीत कौर बनाम तेजागिरी न्यायालय सिविल जज सीनियर डिविजन सिरसा के समक्ष पेश किया गया था। जो न्यायालय द्वारा व हक वादिया डिक्री किया गया। [illegible] मय डिक्री की अपील तेजागिरी आदि द्वारा न्यायालय एडीजे कोर्ट [illegible] न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार की जाकर निर्णय किया गया कि मौजूदा वादिया [illegible] व उसकी बहन चरनजीत कौर मृतक बचन गिरी की जायदाद में कोई हिस्सा पाने का अधिकारी नहीं है। अतः जवाबदावा पेश कर अर्ज है कि वादिया का वादपत्र मय खर्चा खा[illegible] फरमाया जावे। जवाबदावा सामिल मिसल किया गया। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर बन्द किया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:20:31 IST
Reason: SelfAttested

3. हमने प्रकरण मे निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये:-

(A)आया कि क्या वादिया चक 2 एन की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 के खाता संख्या 36/40 के मुरब्बा नम्बर 22, 23, 54/9 की कुल 5.060 हैक्टेयर भूमि में से 0.885 हैक्टेयर भूमि के संबध में दर्ज विरास्तन इन्तकाल संख्या 311 दिनांक 06.08.2013 विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त करवाकर इस भूमि में से 1/4 हिस्सा की खातेदार घोषित होने की हकदार है?

-जिम्मे वादिया-

(B)आया कि क्या वादिया इस भूमि के संबध में स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है?

-जिम्मे वादिया-

(C)आया कि क्या वादिया इस विवादित भूमि में कोई हक व हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है?

-जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1-

(D)अनुतोष।

4. वकील वादिया ने अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य प्रदर्श-1 चक 2 एन की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 36/40 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श-2 चक 2 एन के विरास्तन इन्तकाल संख्या 311 दिनांक 06.08.2013 की प्रमाणित प्रति प्रदर्शित करवाए व स्वंय वादिया पमरजीत कौर का साक्ष्य शपथपत्र, पेश किया। जो सामिल पत्रावली है। जिरह वकील प्रतिवादी के द्वारा की गई। ब्यान सामिल मिसल किए गए। वकील प्रतिवादी ने अपने जवाबदावा के समर्थन में प्रदर्श- डी 1 बैयनामा दिनांक 06.06.1979 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श-डी 2 वसीयतनामा दिनांक 19.02.2008 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श- डी 3 एडीजे कोर्ट सिरसा के आदेश दिनांक 29.01.2016 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श-डी 4 एडीजे कोर्ट सिरसा की डिक्री दिनांक 29.01.2016 की प्रमाणित प्रति प्रदर्शित करवाए व स्वंय तेजागिरी का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया। जो सामिल मिसल है। जिरह वकील वादी द्वारा की गई। ब्यान सामिल मिसल किए गए।

5.हमने उभयपक्षकारन की बहस सुनी तथा उस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली-भांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। हम प्रकरण का तनकी वार पृथक-पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक समझते है जो निम्नानुसार है:-

तनकी संख्या (A) : आया कि क्या वादिया चक 2 एन की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 के खाता संख्या 36/40 के मुरब्बा नम्बर 22, 23, 54/9 की कुल 5.060 हैक्टेयर भूमि में से 0.885 हैक्टेयर भूमि के संबध में दर्ज विरास्तन इन्तकाल संख्या 311 दिनांक 06.08.2013 विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त करवा कर इस भूमि में से 1/4 हिस्सा की खातेदार घोषित होने की हकदार है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादिया की थी। वादिया के द्वारा चक 2 एन की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 के खाता संख्या 36/40 के मुरब्बा नम्बर 22, 23, 54/9 की कुल 5.060 हैक्टेयर भूमि में मृतक बचन गिर के नाम दर्ज 0.885 हैक्टेयर भूमि के विरास्तन इन्तकाल संख्या 311 दिनांक 06.08.2013 को निरस्त करवाकर प्रतिवादी संख्या 6 के साथ 1/4 हिस्सा का खातेदार घोषित किए जाने बाबत निवेदन किया है। प्रदर्श-2 चक 2 एन के विरास्तन इन्तकाल संख्या 311 दिनांक 06.08.2013 प्रमाणित प्रतिलिपि में मृतक बचन गिर वल्द हनुमान गिर कौम गुसांई के नाम दर्ज 0.885 हैक्टेयर भूमि को ग्राम पंचायत कुरंगावाली के वारिस प्रमाण पत्र अनुसार सरपंच ग्राम पंचायत 25 एफ गुलाबेवाला के द्वारा दिनांक 06.08.2013 को विरास्तन इन्तकाल संख्या 311 को स्वीकृत कर, सुखदेव गिर, गुरदेव गिर, तेजा गिर कौम गुसांई ब.हि.ब. 0.885 हैक्टेयर भूमि का खातेदार दर्ज किया गया है। ग्राम पंचायत कुरंगावाली के वारिस प्रमाण पत्र की छायाप्रति में मृतक बचन गिर के वारिसान स्वर्ण कौर (मृतक पुत्री), सुखदेव कौर(पुत्र), गुरदेव सिंह(पुत्र), तेजा गिर(पुत्र), के अलावा पुत्री स्वर्ण कौर के दो वारिस गोगी कौर, नरेन्द्रपाल कौर अंकित किए गए है लिहाजा सरपंच ग्राम पंचायत 25 एफ के द्वारा विरास्तन इन्तकाल दर्ज करते समय गोगी कौर का नाम दर्ज नहीं किया गया। विरास्तन इन्तकाल संख्या 311 दिनांक 06.08.2013 निरस्त किया जाकर वादिया व प्रतिवादी संख्या 6 को मृतक बचन गिर की भूमि में से 1/4 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाना विधिसंगत है। अतः वादिया इस तनकी को साबित करने में पूर्णतया सफल रही है। यह तनकी बहक वादिया विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 निर्णीत की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:20:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

तनकी संख्या (B)आया कि क्या वादिया इस भूमि के संबध में स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादिया की थी। पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1 वादिया के पक्ष में निर्णीत हो चुकी है। लिहाजा वादिया अपने हिस्से की भूमि के संबध में स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है। अतः वादिया इस तनकी को साबित करने में पूर्णतया सफल रही है। यह तनकी बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या (C) आया कि क्या वादिया इस विवादित भूमि में कोई हक व हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी संख्या 1 की थी। प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा जवाबदावा में वर्णित किया है कि वादिया व प्रतिवादी संख्या 6 की माता स्वर्ण कौर की मृत्यू, मृतक बचन गिरी द्वारा विवादित भूमि 06.06.1979 को क्रय करने से पहले सन 1973 में हो चुकी थी। इसके अलावा मृतक बचन गिरी ने अपनी तमाम चल अचल सम्पति की पंजीकृत वसीयत दिनांक 19.02.2008 अपने तीनों पुत्रो के हक में करवा दी थी। जिसमें साफ अंकित किया गया है कि मेरी मृत्यू के पश्चात मेरी जायदाद में मेरी पुत्री की औलाद का कोई हक व हिस्सा नहीं होगा। परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपनी साक्ष्य में स्वीकार किया है कि यह बात सही है कि जो वसीयत मैने पेश की है, वह गांव कुंरगावाली तहसील व जिला सिरसा में स्थित चल व अचल सम्पति की है। चक 2 एन की वसीयत ना होने के कारण प्रश्नगत भूमि का विरास्तन इंतकाल संख्या 311 दिनांक 06.07.2013 हम तीनों भाईयों सुखदेव गिरी, गुरदेव गिरी, तेजा गिरी के नाम दर्ज हुआ था। हमारी एक बहन स्वर्ण कौर थी। जो 1973 में फौत हो गई थी। जिसकी दो पुत्रियां है। परमजीत कौर उर्फ गोगी तथा नरेन्द्र कौर उर्फ निन्दी। बचन गिरी के कुल 4 वारिस थे। सरपंच ग्राम पंचायत 25 एफ के द्वारा विरास्तन इन्तकाल दर्ज करते समय गोगी कौर का नाम दर्ज नहीं किया गया। लिहाजा वादिया के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर वादिया विवादित भूमि में अपना हिस्सा प्राप्त करने.की अधिकारी है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 इस तनकी को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। यह तनकी बहक वादिया, विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 निर्णीत की जाती है।

(D) अनुतोष।

पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1 ता 3 बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 निर्णीत की जा चुकी है। अतः वादिया को अनुतोष प्रदान करना विधिसंगत समझते है। लिहाजा यह तनकी इस कदर निर्णीत की जाती है।

-:क्रियात्मक आदेशः-

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादिया अंतर्गत धारा 88,188,91,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 2 एन की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 के खाता संख्या 36/40 के मुरब्बा नम्बर 22, 23, 54/9 की कुल 5.060 हैक्टेयर भूमि में से 0.885 हैक्टेयर भूमि का विरास्तन इन्तकाल संख्या 311 दिनांक 06.08.2013 निरस्त किया जाकर उक्त 0.885 हैक्टेयर भूमि में वादिया और प्रतिवादी संख्या 6 दोनो को 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1, 5 प्रत्येक को 1/4 - 1/4 हिस्सा, तथा प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 तीनों को 1/4 हिस्सा भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है व वादिया के हिस्से की भूमि के संवध में इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण वादिया के कब्जा काश्त में दखलअंदाजी करने व करवाने के बाज व ममनू रहे। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:20:31 IST
Reason: SelfAttested

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 02.04.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)
परमजीत कौर बनाम तेजागिरी आदि
धारा अन्तर्गत 88, 188, 91, 92ए आरटीए
मुकदमा नम्बर 139/2013
निर्णय दिनांक :- 02.04.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह बराड व प्रतिवादी श्री गुरदेव सिंह, श्री गुरदयाल सिंह मल्ली उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादिया अंतर्गत धारा 88,188,91,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 2 एन की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 के खाता संख्या 36/40 के मुरब्बा नम्बर 22, 23, 54/9 की कुल 5.060 हैक्टेयर भूमि में से 0.885 हैक्टेयर भूमि का विरास्तन इन्तकाल संख्या 311 दिनांक 06.08.2013 निरस्त किया जाकर उक्त 0.885 हैक्टेयर भूमि में वादिया और प्रतिवादी संख्या 6 दोनो को 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1, 5 प्रत्येक को 1/4 - 1/4 हिस्सा, तथा प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 तीनों को 1/4 हिस्सा भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है व वादिया के हिस्से की भूमि के संबध में इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण वादिया के कब्जा काश्त में दखलअंदाजी करने व करवाने से बाज व ममनू रहे। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। आज दिनांक 02.04.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	02	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	**00**	**योग**	**04**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर
दिनांक: 02.04.2024

क्रमांकः रीडर/ 2024/114
प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:20:31 IST
Reason: SelfAttested

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर